न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2019 (GCMS 2019/00075)	09.07.2019	27.01.2021

अनवान

विष्णुकंवर उर्फ लालकंवर पुत्री भोमसिंह पत्नि कमलसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी परलाई खुर्द हाल कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. दिलीपसिंह पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत आयु नाबालिग बविलायात माता रामकंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
3. मिनेशकंवर पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत आयु नाबालिग बविलायात माता रामकंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती रामकंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
5. तहसीलदार रावतभाटा तहसील ` तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेंट

–:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार रावतभाटा नामान्तरकरण मौजा परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा नामान्तरकरण संख्या 041 दिनांक 06.06.2016 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित विवादित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 06.06.2016 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। मौजा परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत 2072–75 की संख्या 12 में दर्ज आराजी संख्या 29 रकबा 0.01 हैक्टर, 30 रकबा 3.23 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 3.24 हैक्टर भूमि अपीलांट के पिता भोमसिंह व अन्य खातेदार के शामलाती खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही। भोम सिंह के दो पुत्र एवं एक पुत्री विष्णुकंवर होने से विरासतीय नामान्तरकरण अपीलांट व अपीलांट के भाईयों के नाम पर दर्ज रेकार्ड किया गया जिससे उक्त नामान्तरकरण अपीलांट व अपीलांट के भाई गजेंद्रसिंह, ईश्वरसिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के उपरांत भी अपीलांट को पटवार हल्का ने फौत होना बताते हुए राजस्वीय नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को वारिस होना बताते हुए व अपीलांट स्वयं को भी विष्णुकंवर की पुत्री होना बताते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जबकि अपीलांट खातेदार स्वयं जीवित है, फिर भी विष्णुकंवर को अपीलांट की माता होना मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 से 4 के शामलाती खातेदारी में चली आ रही थी, उसी अनुसार अपीलांट अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है, फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 5 के कार्यालय से मिली भगती से व नाम का गुमराह कर अपीलांट व विष्णुकंवर को अलग अलग होना बताते हुए विरासतीय नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार रावतभाटा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील को किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.06.2019 को जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से हुई उसी दिन पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की गई तत्पश्चात विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलांट बाद जानकारी अंदर मयाद पेश है, फिर भी अपील में हुए विलंब को विस्तारित फरमाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून में अधिनियम में शपथ पत्र के पेश है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि वह अपील बहस अपीलांट विरुद्ध रेस्पोडेंटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार रावतभाटा द्वारा पारित विवादित नामान्तरकरण संख्या 45 मौजा परलाई खुर्द पटवार हलका टोलों का लुहारिया दिनांक 06.06.2016 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात अपीलांट, रेस्पोडेंट संख्या 1, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के बराबर सह खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलांट् दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 29.01.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 तक के बाजवूद सूचना के जाहिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय तसहसीलदार रावतभाटा से मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार रावतभाटा के पत्रांक/भू0अ0/2020/158 दिनांक 14.03.2020 से मूल अभिलेख प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता।

दिनांक 22.01.2021 को राजकीय अधिवक्ता ने सीधे बहस पत्रावली हेतु निवेदन किया इस पर अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्था न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा के निर्णय दिनांक 06.06.2016 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.06.2019 को जमाबंदी की प्रमाणित प्राप्त करने पर हुई है अतः निर्णय दिनांक 06.06.2016 से 25.06.2019 तक विवादित नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने व विधिक सलाहकार से राय प्राप्त करने से हुई जिससे अपील प्रस्तुत में हुई समस्त देरी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसके प्रत्युत्तर में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि निर्णय दिनांक 06.06.2016 मजमें आम में राजस्व लोक अदालत अभियान ''न्याय आपके द्वार-2016'' में किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को निश्चित तौर पर थी, लेकिन अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी की गई जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 खारीज किये जाने योग्य है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को खारीज किया जाकर अपील अपीलांट को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किया जावें। इस पर बहस प्रार्थना पत्र के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की अपीलांट अपने ससुराल में निवास करती है इस कारण से अभियान के शिविर की जानकारी अपीलांट को नहीं थी एवं निर्णय दिनांक 06.06.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.06.2019 को हुई है एवं इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के साथ स्वयं का सच्चा शपथ पत्र पेश किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत अपीलांट के शपथ पत्र का अवलोकन किया। नैसर्गिक न्याय के अवधारणा के अनुसरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर अवधि शुमार की जाती है।

इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस अपील की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा परलाई खुर्द तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत 2072-75 की संख्या 12 में दर्ज आराजी संख्या 29 रकबा 0.01 हैक्टर, 30 रकबा 3.23 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 3.24 हैक्टर भूमि अपीलांट के पिता भोमसिंह व अन्य खातेदार के शामलाती खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही। भोम सिंह के दो पुत्र एवं एक पुत्री विष्णुकंवर होने से विरासतीय नामान्तरकरण अपीलांट व अपीलांट के भाईयों के नाम पर दर्ज रेकार्ड किया गया जिससे उक्त नामान्तरकरण अपीलांट व अपीलांट के भाई गजेंद्रसिंह, ईश्वरसिंह के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही थी।फिर भी अपीलांट को पटवार हल्का ने फौत होना बताते हुए विरासतीय नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को वारिस होना बताते हुए व अपीलांट स्वयं को भी विष्णुकंवर की पुत्री होना बताते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जबकि अपीलांट खातेदार स्वयं जीवित है, फिर भी विष्णुकंवर को अपीलांट की माता होना मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिससे निर्णय दिनांक 06.06.2016 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर पुष्टि योग्य हैं, अतः अपील अपीलांट खारीज फरमाई जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के रिवटल पर निवेदन किया कि विवादित निर्णय दिनांक 06.06.2016 विरासतन नामान्तरकरण है एवं अपीलांट जो स्वयं जीवित होकर न्यायायल के समक्ष अपील प्रस्तुतकर्ता उसी का विरासतन नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के स्वीकृत कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘ **अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 45 मौजा परलाई खुर्द पटवार हल्का टोलों का लुहारिया निर्णय दिनांक 06.06.2016 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**’’

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है–?

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to a entire holding and in case of

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में इस तथ्य की भी संतुष्टि नहीं की गई कि खातेदार फौत हो चुका है या नहीं इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय से प्रस्तुत अभिलेख नामान्तरकरण पंजिका मौजा परलाई खुर्द पटवार हल्का टोलों का लुहारिया तहसील रावतभाटा की नामान्तरकरण पंजिका नामान्तरकरण संख्या 24 से 72 तक में नामान्तरकरण संख्या 45 के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज यथा आवेदन, मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध निर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध निर्णित किया गया है ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का है किन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण में जिस खातेदार को फौत होना बताया गया है उसी द्वारा न्यायालय में अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि खातेदार जीवित है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाता उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा मौजा परलाई खुर्द पटवार हल्का टोलों का लुहारिया तहसील रावतभाटा नामान्तरकरण संख्या 45 निर्णय दिनांक 06.06.2016 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official